

आवश्यक सूचना
शैक्षणिक सत्र 2018-19 एवं पूर्व के वर्षों हेतु (अनुसूचित जाति वर्ग)

अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 एवं पूर्व वर्षों के समस्त लंबित आवेदनों में स्वीकृत/वितरण किये जाने हेतु निम्नानुसार केलेण्डर निर्धारित किया जाता है:-

1. छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 पर प्राप्त पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति/आवास सहायता हेतु आवेदक स्तर पर लंबित सभी आवेदन दि. 10.11.2019 तक संबंधित संस्थाओं को आवश्यक अभिलेखों सहित अनिवार्यतः अग्रेषित किये जाये।
2. संस्थाओं द्वारा प्राप्त आवेदनों को दिनांक 15.11.2019 तक नियमानुसार एवं पात्रता अनुसार परीक्षण उपरांत आवश्यक अभिलेखों सहित नोडल अधिकारियों को अनिवार्यतः अग्रेषित किये जाये।
3. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा दिनांक 30.11.2019 तक परीक्षण उपरांत नियमानुसार एवं पात्रता अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण किये जाये।
4. विभागीय जिला अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.12.2019 तक नियमानुसार पात्र आवेदकों को शत प्रतिशत भुगतान किया जाये।